

174



न्यायालय श्री मान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०
=====

निगरानी प्रकरण क्रमांक R278-III/13 तन 2013

रामदीन तनय खँचौरी ढीमर निवासी
ग्राम आलीपुरा तहसील नौगांव जिला
छतरपुर मध्य प्रदेश

-----निगरानी कर्ता

बनाम

राजेन्द्र सिंह तनय स्व सिंह ठाकुर निवासी
ग्राम आलीपुरा तहसील नौगांव जिला छतरपुरम०प्र०

-----प्रत्यार्थी

श्री. युकेश - कार्यालय, अफि
द्वारा आज दि. 26/13 क.
प्रस्तुत

क
5613
ब्लक ऑफिस
राजस्व मण्डल म.प्र.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू० रा० सं०
=====

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर
छतरपुर जिला छतरपुरम०प्र० राजस्व प्रकरण क्रमांक 177/
निगरानी/08-09 आदेश दिनांक 10.4.13 जिसके
अनुसार आवेदक/निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त
की गयी ।
=====

3

केशमणि
Ucar

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 2178-दो/2013

जिला- छतरपुर

रामदीन विरुद्ध राजेन्द्र सिंह

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

22-08-19

प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला- श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 177/निगरानी/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।

2- पक्षकार दिनांक 15-10-19 को आयुक्त, सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

3

(जे0 के0 जैन)

सदस्य